

19/2/24

वकील इमम पक्ष (अप.) प्र. पत्र आदेश नं निपम-10 CPC की कक्षा पर मतत विद्या) पत्रवार्ता का अपलोड विद्या)। प्रार्थी कौकी सेवाश द्वारा पक्षवाक बनने का प्राप्त पत्र के साथ कोई रजिस्ट्री दस्तावेज पेश नहीं किया है केवल गोश्वामी का इकरारनामा पेश किया है जो प्रार्थी के इस प्रकरण में पक्षवाक बनने के लिए पर्याप्त नहीं है तथा प्रार्थी की हितवृत्त गजर नहीं करती है। अतः प्रार्थी का प्र. पत्र दिनांक 16/8/22 आदेश नं निपम- 10 CPC खारिज किया जाता है। पत्रवार्ता वाले कक्षा कानिम् दिनांक 26/2/24 को पेश हो।

W

26/2/24

वकील इमम पक्ष (अप.) प्रार्थी मिथुन सुरेज 3rd कौकी सेवाश द्वारा पत्र प्र. पत्र इस आदेश का जर्म अतिमाध्यम प्रस्तुत किया कि इस अपील की आदेशिका दिनांक 19/2/24 के इन्वाय में गोश्वामी विद्वत्सभा बनाम दिनेश के धारा 17 गोश्वामी विद्वत्सभा बनाम परमानन्द दर्ज होगया है जिसे संशोधन हेतु निवेदन किया है।

अतः प्रार्थी की प्रार्थना उचित होने से इस पृष्ठ की दिनांक 19/2/24 आदेशिका में इन्वाय में गोश्वामी विद्वत्सभा बनाम परमानंद यादव के धारा 17 "गोश्वामी विद्वत्सभा बनाम दिनेश वर्मा" संशोधित किया जाता है। तदनुसार पदांशों में पत्रवार्ता पूर्वक वाले कक्षा दिनांक 12/3/24 को पेश हो।

W

12/3/24

पत्रवार्ता पेश हुई। इस पत्रवार्ता के निष्पत्ति दिनांक 19/2/24 के किरम के कोड में रजिस्ट्री पेश होने से कोड के पत्रवार्ता एम कार। निग। 2024। 1518/ कोड। 2357 दिनांक 7/3/24 से इस-यापान. के पत्रवार्ता जारी हो रही है। इस-यापान. की मुद्रा का प्रार्थी कक्षा की जगह पत्रवार्ता कोड में रजिस्ट्री पेश हो। पत्रवार्ता नम्बर से बस की जाये।

जिला कलक्टर
कोटा